मोबाईल नंबर उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

तारीख रजू.........................

अधिवक्ता 2/226/2022

जीतू .... बनाम .... रामसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.08.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बख़ूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 157, 158, 226, वाके ग्राम मैंथना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.08.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.08.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29.8.22	वकील प्रार्थी .... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक .... की पालना में पत्रा. भी वास्ते .... तलबी रफिद्र दिनांक .... 27/10/22 .... को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

19/1/23

वकील प्रार्थी उपस्थित। गैरसायलान 1 व 2 तामील शुदा रजि० एडी के उप० नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अर्जी स्थगन दिनांक 20/1/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

20/1/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को साबित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की है एवं इसलिए यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी किसी भी तरह पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर सायल अपने प्रार्थना पत्र स्थगन को साबित करने में सफल

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्ति होने वाली क्षति आवेदक के पक्ष में वजूद साबित है अतः प्रार्थी का का प्रार्थना-पत्र अ.2 R.1-2 स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला अदालत निगरानी से पाबन्द किया जाता है की वो विवादित आराजी खसरा नम्बरान 157, 158, 226 वाके ग्राम मैमना तहसील कठूमर में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 12.8.2022 को दावा फैसल तक अस्थाई किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	